

सनिमैटोग्राफ (संशोधन) वधियक, 2023

प्रलिस के लयः

[बौधक संपदा अधकार, केंद्रीय फलिस परमाणन बोरड](#), सनिमैटोग्राफ अधनियम, 1952, श्याम बेनेगल समति, IT नयिम 2021

मेन्स के लयः

सनिमैटोग्राफ अधनियम, 1952 में आवश्यक संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने सनिमैटोग्राफ (संशोधन) वधियक, 2023 पारति कयि। यह वधियक सेंसरशिप से लेकर [कॉपीराइट](#) तक को कवर करने के लयि कानून के दायरे का वसितार करता है और सख्त एंटी-पाइरेसी प्रावधान पेश करता है।

- इस वधियक का उद्देश्य मौजूदा सनिमैटोग्राफ अधनियम, 1952 में संशोधन करना है।

सनिमैटोग्राफ (संशोधन) वधियक, 2023 में प्रस्तावति प्रावधानः

- पायरेसी वरिधी प्रावधानः** इस वधियक का उद्देश्य अनधकृत ऑडयो-वजुअल रिकॉर्डिंग और कॉपीराइट सामग्री के वतिरण में शामिल व्यक्तयिों पर सख्त दंड लगाकर फलिमों की पायरेसी को रोकना है। इन प्रावधानों में शामिल हैं:
 - सज़ा: 3 महीने से 3 वर्ष तक की कैद।
 - जुरमाना: 3 लाख रुपए से ऑडिटिड सकल उत्पादन लागत का 5% तक।
- कॉपीराइट कवरेज का वसितारः** इसका उद्देश्य सनिमैटोग्राफ अधनियम, 1952 जो कि मुख्य रूप से सेंसरशिप पर केंद्रति था, के कवरेज का वसितार करते हुए कॉपीराइट सुरक्षा को भी इसके दायरे में लाना है।
 - यह कदम फलिम वतिरण के उभरते परदृश्य के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य फलिम नरिमाताओं और सामग्री नरिमाताओं के बौधक संपदा अधकारों की रक्षा करना है।
- CBFC पर सरकार की सीमति शक्तयिाँ:** यह केंद्रीय फलिस परमाणन बोरड (CBFC) की स्वायत्तता पर ज़ोर देता है।
 - के.एम. शंकरप्पा बनाम भारत संघ (2000) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के आधार पर सरकार CBFC द्वारा लयि गए नरिणयों में संशोधन नहीं कर सकती है।
- आयु आधारति रेटगि (U/A रेटगि):** संशोधन वधियक उन फलिमों के लयि एक नई आयु आधारति रेटगि प्रणाली प्रस्तुत करता है जिनके लयि अभभावकों या माता-पति के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वर्तमान U/A रेटगि, जो व्यापक आयु सीमा को कवर करती है, को तीन भन्नि-भन्नि श्रेणयिों में वभिजति कयि जाएगा:
 - U/A 7+: माता-पति या अभभावक के मार्गदर्शन में 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लयि उपयुक्त फलिमें।
 - U/A 13+: माता-पति या अभभावक के मार्गदर्शन में 13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लयि उपयुक्त फलिमें।
 - U/A 16+: माता-पति या अभभावक के मार्गदर्शन में 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लयि उपयुक्त फलिमें।
 - यह नवीन वर्गीकरण प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी नयिम, 2021 और श्याम बेनेगल समति की सफारशि (2017) के आधार पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लयि लागू श्रेणीबद्ध-आयु वर्गीकरण के साथ संरेखति है।
- TV एवं अन्य मीडिया के लयि पुनः प्रमाणनः** वर्ष 2004 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् से वयस्क/एडल्ट रेटगि वाली फलिमों को टेलीवज़िन पर प्रतबिधति कर दयि गया है।
 - जसिके परणामस्वरूप प्रसारक स्वेच्छा से फलिमों में कटौती करते हैं और U/A रेटगि के लयि CBFC से पुनः प्रमाणीकरण की मांग करते हैं।
 - यह वधियक इस प्रथा को औपचारकि बनाता है, जसिके तहत फलिमों को टेलीवज़िन और "अन्य मीडिया" के माध्यम से प्रसारण के लयि पुनः प्रमाणति कयि जा सकेगा।
- प्रमाणपत्रों की स्थायी वैधता:** इस अधनियम में संशोधन के माध्यम CBFC प्रमाणपत्रों की 10 वर्ष की वैधता संबंधी प्रतबिध को हटाकर उन्हें स्थायी वैधता प्रदान की जा सकेगी।

सनिमैटोग्राफ अधिनियम, 1952:

- **सनिमैटोग्राफ अधिनियम, 1952** को संसद द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये अधिनियमि किय गय थ क फलिमों क प्रदर्शन भारतीय समाज की सहनशीलता की सीमा के अनुसार हो।
 - यह फलिमों को प्रमाणित करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करता है, इसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता अथवा नैतिकता या मानहानि या न्यायालय की अवमानना जैसे विषय शामिल हैं।
- इस अधिनियम की धारा 3 केंद्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड (जिसें आमतौर पर सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है) की स्थापना का प्रावधान करती है।
 - CBFC सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो सनिमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत फलिमों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है।
- यह बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cinematograph-amendment-bill,-2023>

